2019/00019

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरचरण सिंह वगैरा बनाम शक्ताराम वगैरा

~~अपील~~ निगरानी प्रकरण सं0 05/2019

श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता निगरानीकर्ता

राजेश गुप्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27.02.2019	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2019 को पेश हो।	
5/3/19	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण~~ पर स्थानान्तरित ~~कार्य में व्यस्त~~ है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 19/3/19 को पेश हो।	
14/3/19	अधिवक्ता निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र एवं तलबी हेतु निर्धारित दिनांक 19/3/2019 को पेश हो।	548,550
19/3/19	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~ भ्रमण पर अनुपस्थित ~~कार्य में व्यस्त है।~~ पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 25/3/19 को पेश हो।	
25/3/19	पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29/3/19 को पेश हो।	
29/3/19	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस गई। अधिवक्ता निगरीनकर्ता ने ग्राम पंचायत ग्राम 16 बीबी के आदेश दिनांक 15.09.1979 के विरूद्व स्थगन चाहा गया है जो करीब 40 वर्ष पुराना आदेश है जिस पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर स्थगन दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो को सुना जाना आवश्यक है। नोटिस बाद तामील/अदम तामील प्राप्त नहीं हुए है। पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस, तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 18.04.2019 को पेश हो।	654,655
18.04.19	अप्रार्थी पक्ष प्रतिवादी अप्रार्थी की ओर से श्री राजेश गुप्ता का वकालतनामा मय ग्राम पंचायत प्रस्तुत। जवाब प्रस्तुत किया। अधि. ने जवाब प्रस्तुत हेतु समय चाहा। वास्ते पत्रावली जवाब एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/5/19 को पेश हो।	

२३/७/२४ अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तालिमान सूची पेश करने हेतु समय चाहा। जो दिया जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक २६/७/२४ को पेश हो।

26/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित नही। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं को पृथक पृथक समय पर रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगाई गई लेकिन वे हाजिर नही हुए। ऐसी स्थिति मे निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)